



.....  
( केवल कार्यालय उपयोग हेतु )

**अभिस्वीकृति**

-----का आवेदन पत्र दिनांक -----का प्राप्त हुआ तथा क्रम सं.  
-----पर पंजीकृत किया गया , जिसका अनुवर्ती पत्राचार में उल्लेख किया जाना चाहिए ।

आवेदन पत्र प्राप्त करने वाले  
व्यक्ति के हस्ताक्षर व पद

**प्राप्ति रसीद**

---

रु. .... रसीद संख्या ..... दिनांक ..... से प्राप्त किये ।

प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर

**आवेदन अनुबंध प्रपत्र भरने हेतु सहायक जानकारी**

**1. आवेदन/अनुबंध प्रपत्र के क्रम संख्या 8 के क्रम में (आवेदित सम्बद्ध भार की गणना निम्नानुसार करें) :-**

क्र. सं.	भार का वर्णन	संख्या	वॉटेज	कुल वॉटेज
1	बल्ब/फेन/लाईट प्लग (5 एम्पी)		60 वॉट	वॉट
2	ट्यूब लाईट		40 वॉट	वॉट
3	टेलीविजन कलर/		100 वॉट	वॉट
4	पावर प्लग (15 एम्पी )		500 वॉट	वॉट
5	फ्रिज/कूलर		250 वॉट	वॉट
6	गीजर		1500 वॉट	वॉट
7	एयर कण्डीशनर 1/1.5 टन		1500/2200 वॉट	वॉट
			<b>कुल योग</b>	<b>वॉट</b>

**2. आवेदन/अनुबंध प्रपत्र के क्रम संख्या 9 के क्रम में :-**

- (i) प्रार्थना पत्र शुल्क :- सिंगल फेज रु. 200/-, थ्री फेज रु. 500/-  
(ii) स्टाम्प ड्यूटी :- रु. 10/- (किरायेदार/कब्जेदार होने पर स्टाम्प शुल्क 100/-रु. अतिरिक्त देय होगा )  
(iii) मीटर बॉक्स कीमत रु. :- सिंगल फेज मीटर रु. 350/-, थ्री फेज रु. 950/-  
(iv) मीटर सुरक्षा राशि :- सिंगल फेज राशि रु. 350/-, थ्री फेज राशि रु. 650/-  
(v) सुरक्षा राशि (प्रोविजनल):- मकान मालिक हेतु घरेलू -100/- रु. प्रति कि.वा., अघरेलू - 200/- रु. प्रति कि.वा., किराएदार हेतु इस दर का दुगुना।

- (vi) सरकारी आवास में रह रहें कर्मचारी हेतु उपरोक्त (iv) एवं (v) के स्थान पर सुरक्षा राशि निम्नप्रकार लगेगी :-

निवास स्थान का प्रकार	सिक्यूरिटी पूंजी	निवास स्थान का प्रकार	सिक्यूरिटी पूंजी
'ए' टाईप	रु. 800/-	'ई' टाईप	रु. 200/-
'बी' टाईप	रु. 500/-	'एफ' टाईप	रु. 150/-
'सी' टाईप	रु. 300/-	'जी' टाईप	रु. 150/-
'डी' टाईप	रु. 200/-	'एच' टाईप	रु. 150/-

- (vii) सर्विस कनेक्शन शुल्क :-

घरेलू - कच्ची बस्ती रु. 2000/-, अन्य क्षेत्र रु. 5000/-  
अघरेलू -1 कि.वा. भार तक रु. 3000/-, 1 कि.वा. से ऊपर 5 कि.वा. तक रु. 4000/-,  
5 कि.वा. से ऊपर 10 कि.वा. तक रु. 6000/-, 10 कि.वा. से ऊपर अतिरिक्त 250/-रु. प्रति कि.वा. के लिये या उसके एक भाग पर

- 3 (i)** एल फार्म - परिसर में बिजली की फिटिंग विद्युत अधिनियम 2003 के अनुरूप है का सर्टिफिकेट लाइसेन्सधारी/ मान्यता प्राप्त ठेकेदार का मान्य है।

- (ii)** जमा कराई गई राशि की रसीद (क्रम संख्या 2 के अनुसार)

- (iii)** आवेदक के किराएदार होने पर संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का प्रारूप :-

मकान मालिक द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं तो अनुबंध पत्र संलग्न करना होगा यदि मकान मालिक हस्ताक्षर करने हेतु मना करे तो क्षतिपूर्ति बंध पत्र संलग्न करना होगा।

### अनुबन्ध पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने यह ..... जो कि नगर परिषद मकान संख्या ..... में स्थित है मैसर्स/श्री ..... निवासी ..... को किराये पर दे दिया है तथा मुझे उक्त भवन में विद्युत कनेक्शन देने पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस बात की गारन्टी देता हूँ कि जब भी किरायेदार मकान/दुकान/..... खाली करेगा तो मैं इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखूंगा कि निगम की राशि बकाया न रहे। ऐसा न होने की स्थिति में मैं स्वयं निगम की बकाया रकम का देनदार रहूंगा।

**हस्ताक्षर किराएदार**

**हस्ताक्षर मकान मालिक**

**साक्षी**

**नाम :- .....**

**पता :- .....**

### क्षतिपूर्ति बंध पत्र

जैसा कि, मैं ..... पुत्र/पत्नी श्री ..... उम्र ..... वर्ष निवासी ..... ने सहायक अभियन्ता ( ..... ), जविविनिलि ..... के कार्यालय में विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया है। जैसा कि, जविविनिलि ने ..... उक्त ..... स्थित मकान/ दुकान के मेरे द्वारा अपेक्षित विद्युत कनेक्शन के लिये मकान/ दुकान मालिक की सहमति मांगी है।

जबकि मैं मकान/दुकान मालिक का सहमति पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ, चूंकि जविविनिलि ने इस सम्बन्ध में मुझसे लिखित वचन चाहा है कि अगर मेरे और मकान/दुकान मालिक के मध्य इस विद्युत कनेक्शन से संबंध में अगर किसी न्यायालय के समक्ष विवाद उत्पन्न होता है तो निगम इस मामले में शामिल नहीं होगा फिर भी निगम को इस कारण हुई किसी प्रकार की क्षति/खर्चों की क्षतिपूर्ति करने का मैं वचन देता हूँ। अतः यह अनुबन्ध मकान/दुकान मालिक की बिना सहमति के निगम द्वारा मुझे उक्त परिसर में कनेक्शन दिये जाने हेतु साक्ष्य किया जाकर मैं वचन देता हूँ कि निगम को इस संबंध में हुए वादकरण के कारण हुई सभी प्रकार की हानियों/क्षतियों एवं खर्चों की क्षतिपूर्ति का वचन देता हूँ।

**स्थान :-**

**( निष्पादक के हस्ताक्षर )**

**तारीख :-**

**साक्षी**

**नाम :- .....**

**पता :- .....**

**शर्तें :-**

1. सर्विस लाइन, कन्ड्यूट पाइप एवं फिटिंग हेतु आवश्यक नट-बोल्ट/क्लिप इत्यादि आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
2. इस अनुबन्ध को विद्युत आपूर्ति की शर्तें एवं नियम 2004 एवं टैरिफ 2001 के सभी प्रावधानों, जो कि समय-समय पर लागू हो, की विषय वस्तु के रूप में पढ़ा एवं समझा जावे जो कि इस अनुबन्ध का ही एक भाग माना जावेगा। विद्युत अधिनियम 2003 के सुसंगत प्रावधान एवं इसके अधीन बनाये गए नियम एवं विनियम या इसके कोई पश्चात्वर्ती संशोधन या उपान्तरण अनुबंध को शासित करने वाले प्रावधान होंगे।